भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4193** जिसका उत्तर

गुरूवार, 19 **मार्च**, 2020/29 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों पर अवसंरचना

4193. श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पत्तनों पर विश्वस्तरीय पर्यावरण-हितैषी अवसरंचना बनाने का विचार है ताकि भारत को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा पत्तनों के अध्यक्षों और प्रशासनों के तीन दिवसीय 'चिंतन बैठक' का आयोजन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने पोत परिवहन उद्योग के सतत विकास और वृद्धि के लिए भारत के विशाल समुद्र तट का दोहन करने की कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने सभी भारतीय पत्तनों को विश्वभर के अन्य वैश्विक पत्तनों के समतुल्य विकसित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) सरकार द्वारा स्थापित 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय अपना योगदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास कर रहा है। इस संबंध में, 49950 करोड़ रूपए की लागत वाली 58 परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2025 तक

महापत्तनों में अवसंरचना संवर्धन और विकास हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के भाग के रूप में पहचान की गई है।

(ग) और (घ) जी हां। महाबलिपुरम में 28 फरवरी से 2 मार्च, 2020 तक तीन दिवसीय 'चिंतन बैठक' का आयोजन किया गया था। 'चिंतन बैठक' में, महापत्तनों के कार्य निष्पादन को सुधारना, निजी अथवा गैर-महापत्तनों के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए महापत्तनों को सुदृढ़ करना, पत्तन आधुनिकीकरण, पत्तनों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क को खत्म करने तथा कागजाती कारवाई को भी कम करने के लिए ई-गर्वनेंस को लागू करना, भारत को 'ट्रांस-शिपमेंट हब' के रूप में विकसित करना तथा समुद्री क्षेत्र के लिए विजन-2030 से संबंधित विभिन्न मामलों पर विस्तृत मंत्रणा की गई।

(ङ) भारतीय पोत परिवहन उद्योग की टनेज क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें (i) प्रथम इनकार करने का अधिकार के माध्यम से भारतीय पोत परिवहन उद्योग को कार्गो सहायता प्रदान करना। (ii) भारतीय ध्वज वाले जलयानों में इस्तेमाल होने वाले बंकर ईंधन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% तक करना (iii) श्रीलंका और बांग्लादेश में विदेशी पत्तनों से होते हुए एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन तक तटीय कार्गो को लाने-ले जाने की अनुमति प्रदान करना (iv) भारत के नागरिकों, भारत में निगमित कंपनियों और पंजीकृत समितियों द्वारा विदेश में पंजीकृत पोतों को चार्टर करने पर लाइसेंसिंग की अपेक्षा को हटाना ताकि कृषि एवं अन्य सामानों, उर्वरकों, कंटेनर एवं खाली कंटेनरों एक्जिम ट्रांसशिपमेंट के तटीय आवागमन को बढ़ावा दिया जा सके (v) भारतीय ध्वज वाले पोतों पर नियुक्त भारतीय समुद्री-कर्मियों को कर व्यवस्था में समानता देना जैसे कि विदेशी ध्वज वाले पोतों पर उनको दी जाती है (vi) भारत में स्थित पोत परिवहन उद्यम को विदेश में पोतों को अर्जित करने एवं अपनी सुविधानुसार किसी देश में चलाने की अनुमति प्रदान करना (vii) घरेलू कार्गो को लेजाने के लिए आयातित कंटेनरों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करना तथा एक्जिम कार्गो के परिवहन हेतु, अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएसओ) द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप स्थानीय रूप से निर्मित अथवा घरेलू कंटेनरों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करना शामिल हैं।

(च) विगत चार-पांच वर्षों में, सरकार ने व्यापार को सरलता से करने (ईज ऑफ डुईंग) की अनेक पहलों सहित पत्तन आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण और डिजिटलीकरण की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है। इस विकसित पत्तन समुदायिक प्रणाली (पीसीएस) पीसीएस1एक्स, से यह अपेक्षा है, कि यह एकल मंच पर हितकारकों को जोड़ने एवं उचित समय पर सूचना प्रदान करेगी। पत्तन आधुनिकीकरण हेतु अन्य मुख्य उपायों में वेब-आधारित-ई-फार्म को लागू करना, प्रत्यक्ष रूप से पत्तन सुपुर्दगी एवं पत्तन में प्रवेश करना, गेट स्वचालन हेतु कंटेनर स्कैनरों एवं रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान- आधारित प्रणाली की स्थापना, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण तथा व्यापार को सरलता से करने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस को शुरू करना शामिल है।

*****